न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
(1) 12/131/18	02–11–2018	17–12–2019

01. दी जिन्दोली ग्राम सेवा सहकार समिति लिमिटेड जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर जरिये व्यवस्थापक चांद किशोर शर्मा पुत्र धनश्याम दत्त शर्मा निवासी ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 23–03–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–21/1975

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
(2) 12/50/19	16–07–2019	17–12–2019

01. दी जिन्दोली ग्राम सेवा सहकार समिति लिमिटेड जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर जरिये व्यवस्थापक चांद किशोर शर्मा पुत्र धनश्याम दत्त शर्मा निवासी ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 02–11–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–21/1975 प्रकरण संख्या 27/2018

उपस्थितः–

01. श्री श्योरामसिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार —रेस्पौडेण्ट

—:: निर्णय ::—

उक्त दोनों अपीलों एक ही अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 23.03.2018 एवं 02.11.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–21/1975 निलंबित/निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। दोनों अपीलों के विषयवस्तु समान होने के कारण एक साथ सम्मिलित किया गया। दोनों अपीलों बहस सुनी जाकर निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक से सलंग्न की जावें। से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

वकील अपीलान्ट ने अपील के बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का प्रवर्तन निरीक्षक मुण्डावर द्वारा दिनांक 20.3.18 को निरीक्षण किया गया था। जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा नोटिस क्रमांक 4041 दिनांक

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

9.4.18 का अपीलान्ट को प्राप्त हुआ जिसका अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी को जवाब दिनांक 25.5.18 प्रस्तुत कर दिया गया। अपीलान्ट की पॉस मशीन में दर्ज स्टॉक के अनुसार 11.8 किग्रा चीनी कम पाई गई–पोश मशीन की फीडिंग में चीनी बिल से अधिक फीड कर दी गई थी जो विभाग द्वारा की गई थी, राशन कार्डधारकों को 18.08 क्वि. गेहूँ, 429.5 लीटर केरोसीन, 45.75 किग्रा चीनी का पोश मशीन से फिंगर प्रिन्ट के मार्फत उचित मूल्य राशन सामग्री का वितरण किया गया था और ऑनलाईन ट्रांजेक्शन किया गया, विभाग के निर्देशानुसार भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड से भी वितरण किया गया था इस वजह से वितरण का कुछ राशन कार्डो में इन्द्राज नहीं हो सका। एवं दिनांक 20.03.18 को वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्डो पर पॉस मशीन के माध्यम से ट्रॉजेकशन तो कर दिया गया लेकिन वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं को राशन सामग्री प्रदान नहीं की गई। जांच के अनुसार 18.08 क्वि0गेहूँ, 429.5 लीटर केरोसीन एवं 45.75 किग्रा चीनी का पॉस मशीन के माध्यम से ट्रॉजेक्शन नही पाया गया। दी जिन्दोली ग्राम सेवा सहकार समिति लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सोसायटी है जो कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ राजस्थान सरकार जयपुर के यहां रजिस्टर्ड है, जिसका पंजीकृत क्रमांक 1510ए दिनांक 9.12.1963 है। अपीलान्ट संस्था द्वारा 1/2 भाग ग्राम पंचायत जिन्दोली में उचित मूल्य की दुकान संचालित किया जाता है। वक्त मौका पर निरीक्षक द्वारा मौके पर जांच की गई उस समय उचित मूल्य सामग्री यथा गेहूँ कैरोसीन व चीनी का स्टॉक पूरा था। उचित मूल्य दुकान पर सूचना पट्ट का प्रदर्शन हो रहा था। तहत अदालत के अधिकारी द्वारा अपीलान्ट्स को यह कहा जाता रहा कि 90 दिन पश्चात् प्राधिकार पत्र स्वतः ही बहाल हो जावेंगा, परन्तु प्राधिकार पत्र के निलम्बित के 90 दिवस अवधि पश्चात भी प्राधिकार पत्र बहाल नहीं किया गया है। 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है। जैसा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव खाघ नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 2.9.08 एवं 7.7.09 में दिशा निर्देश दिये हुए है। किसी प्रकार की अनियमितिता नहीं बरती गई और ना ही अनियमितता बाबत कोई शिकायत अपीलान्ट्स के विरूद्व किसी भी व्यक्ति या उपभोक्ता की रही है। तहत अदालत की पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं रही है कि जिससे अपीलान्ट्स के विरूद्व मनगंढत रूप से विरचित किये गये आरोप सि्द्व व साबित होते हो के बावजूद अपीलीय आदेश पारित किया गया है। आरोप गंभीर प्रकृति के नही थे केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित किया गया है। अपीलीय आदेश के विरूद्व जो आदेश मनमाना व अविधिक है। तहत अदालत का प्राधिकार निलम्बन आदेश केवल 90 दिन तक ही प्रभावी रहता है लेकिन दिनांक 22.6.18 तक भी प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है दिनांक 26.10.18 को जिला रसद अधिकारी ने एलानिया कहा कि वो केस का फैसला नहीं करेगें, जिस कारण आलोच्य आदेश 23.3.18 से अपील पेश करने तक के समय को न्यायहित में कण्डोन किये जाने योग्य है। तथा अपीलीय आदेश 2.11.18 की जानकारी दिनांक 2.7.19 को अपीलान्ट को हुई विधिक राय प्राप्त होने पर बिना किसी देरी

जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

से अवधि देरी दिनांक 02.11.18 से 02.07.2018 तक कण्डोन किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ अपील अन्दर मियाद पेश की है। विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें एवं स्वीकार फरमाई जावें।

विभागीय पैरोकार द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दूओं को नकारते हुए निवेदन किया कि ग्राम जिन्दोली के उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 20.3.18 को शिकायत प्रा0पत्र पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.3.18 को जांच की गई। वक्त जांच दुकान का भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक में 11.8 किग्रा चीनी कम पाई गई–अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्डो पर पॉस मशीन के माध्यम से ट्रॉजेकशन तो कर दिया लेकिन वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं को राशन वितरण नहीं किया गया, 18.08 क्वि. गेहूँ, 429.5 लीटर केरोसीन एवं 45.75 किग्रा चीनी का पॉस मशीन के माध्यम से ट्रॉजेक्शन किए जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण नहीं करना पाया गया। दिनांक 2.11.18 प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच की गई। जांच के अनुसार 18.08 क्वि0गेहूँ, 429.5 लीटर केरोसीन एवं 45.75 किग्रा चीनी का पॉस मशीन के माध्यम से ट्रॉजेक्शन नही पाया गया। अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के तहत प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि दोनों उचित मूल्य दूकानों की जांच दिनांक क्रमशः 20.3.18, व 23.3.18 को करवाई गई। तहत अदालत कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर दिया गया। वक्त मौका पर निरीक्षक द्वारा मौके पर जांच की गई उस समय उचित मूल्य सामग्री यथा गेहूँ कैरोसीन व चीनी का स्टॉक पूरा था। उचित मूल्य दुकान पर सूचना पट्ट का प्रदर्शन हो रहा था। अपीलान्ट पर जो आरोप लगाये गये है वो आरोप गंभीर प्रकृति के नही थे ना अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का गबन किया है और ना कोई अनियमितता की गई। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ निर्णय देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। दुकान का भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक में 11.8 किग्रा चीनी कम पाई गई–अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्डो पर पॉस मशीन के माध्यम से ट्रॉजेकशन तो कर दिया लेकिन वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं को राशन वितरण नहीं किया गया, 18.08 क्वि. गेहूँ, 429.5 लीटर केरोसीन एवं 45.75 किग्रा चीनी का पॉस मशीन के माध्यम से ट्रॉजेक्शन किए जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण नहीं करना पाया गया। उक्त दोनों कथन में राशन वितरण में हुई

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अनियमितता होने के की जांच सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आई0ए0एस0 (प्रशिक्षण) अलवर हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति मुण्डावर से कराई गयी उन्होनें अपनी रिपोर्ट पत्रांक 5 दिनांक 11.9.19 से अवगत कराया कि दिनांक 15.7.17 को कुल 8 ट्रांजेक्शन द्वारा पॉस मशीन के माध्यम से 80 किग्रा0 गेहूँ एवं 10 लीटर केरोसीन का ट्रांजेक्शन किया लेकिन राशन कार्ड में इन्द्राज 20 किग्रा0 गेहूँ का किया। इस प्रकार अंतर सामग्री 60 किग्रा गेहूँ एवं 10 लीटर केरोसीन का उक्त दिनांक को गबन किया है। ट्रांजेक्शन जिनमें राशन कार्ड में उस दिनांक का कोई इन्द्राज नहीं किया गया है लेकिन पॉस मशीन के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर दिया गया। आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड से स्पस्ट है कि सामग्री का बिना उपभोक्ताओं को दिये ही डीलर द्वारा पॉश मशीन से ट्रांजेक्शन कर दिया गया है। दिनांक 3.9.16 से लेकर दिनांक 18.3.17 तक कुल 5 ट्रांजेक्शन के माध्यम से 24 लीटर केरोसीन निकाला गया जिसका राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं है। 24 लीटर केरोसीन का गबन डीलर द्वारा कर लिया गया। जॉच बिन्दुओं से स्पष्ट है कि वितरण सामग्री का 27 राशन कार्डो में प्रविष्टियॉ का अंकन आनलाईन पॉस मशीन से ट्रांजेक्शन से मिलान करने पर 17.7 क्वि गेहूँ 463 लीटर केरोसीन एवं 50.15 किग्राम चीनी का उपभोक्ता को डीलर द्वारा नहीं दिया जाना साबित होता है, कि जांच रिपोर्ट पेश की गई। जांच रिपोर्ट, कानून की मंशा देखी गई के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट के विरूद्ध नियंत्रित मूल्य की वस्तुओं के वितरण में गंभीर अनियमितताओं से संबंधित जॉच लम्बित होने के कारण अनुज्ञापत्र दिनांक 22.03.18 एवं 02.11.18 को निलंबित/निरस्त किया गया था। डीलर द्वारा नियंत्रित वस्तुओं के वितरण में निरन्तर गंभीर अनियमितताओं एवं लापरवाही एवं कालाबाजारी करने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के भाग 2 (8) के प्रावधानानुसार अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने के आदेश दिए जा चुके है। जिस आदेश को अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है तो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलों के विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 23.03.18 व 02.11.18 व सारहीन हो जाती है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 23.03.2018 एवं दिनांक 02.11.2018 यथावत् रखे जाते है। निर्णय प्रति के साथ तहत अदालत को भिजवाया जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **17–12–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)